| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**प्रताप सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर)**<br>**अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/691** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.01.23 | पत्रावली पेश हुई। रेस्पोडेन्ट की टिप्पणी पत्रांक 708 दिनांक 26.12.2022 से प्राप्त जिसमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 2 पृष्ठ अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया अपील खारिज कराने का श्रम करावें।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.19() आरटीआई/संआज/2022/676 दिनांक 25.11.2022 द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br>2/1/2023<br>(अन्तरसिंह नेहरा)<br>अपीलेट अधिकारी<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर। | |